भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3922

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

वेतन वृद्धि की विसंगति

3922. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 01-01-2017 से लागू किए गए वेतन संशोधन के बाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि की विसंगति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम बोर्ड और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) को 15 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर और लगभग 23 प्रतिशत की वास्तविक वेतनमान वृद्धि के बीच के अंतर के बारे में पहले से ही जानकारी थी;

(ग) क्या व्यय विभाग (डीपीई) ने दिनांक 12-12-2019 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह स्पष्ट किया था कि कार्मिकों/श्रमिकों की श्रेणी से संबन्धित मुद्दों का समाधान प्रबंधन और श्रमिक संघों के बीच वेतन समझौते के माध्यम से किया जाएगा;

(घ) क्या दिनांक 02-03-2026 को इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते समय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा व्यय विभाग (डीपीई) से सहमति और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दिनांक 01-10-2019 के समझौता ज्ञापन के उपबंधों के बावजूद इस मामले को व्यय विभाग को वापस न भेजे जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी-III/IV (यूनियन में शामिल कर्मचारी) कर्मचारियों के संदर्भ में दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी वेतन संशोधन का समझौता, दिनांक 01.02.2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, एफसीआई प्रबंधन और मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से हुआ था। समझौता ज्ञापन में बिंदु संख्या 3.1(ख) में उल्लेख किया गया है कि वेतन का समूहन, यदि लागू हो, डीपीई द्वारा दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0028/2017- डीपीई (डब्ल्यू सी)-जीएल-XIII/17 के अनुबंध-III(क) के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।

...2/-

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 के पत्र के माध्यम से वेतन समझौते पर भारत सरकार की स्वीकृति देते हुए कहा है कि समूहन पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के दिनांक 3 अगस्त 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III(क) के अनुसार, समूहन केवल तभी स्वीकार्य है जब फिटमेंट लाभ 15% से कम हो। लेकिन, अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों के मामले में 15% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव है।

(ख): श्रेणी-III और श्रेणी-IV के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन/पुनर्विचार से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू), जिसमें संशोधित वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला से संबंधित प्रस्ताव शामिल है, की सिफारिश निदेशक मंडल द्वारा की गई थी और उसके बाद खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा इसे अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया और दिनांक 07.08.2019 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया।

(ग): जी हां।

(घ) और (ड.): इस विभाग द्वारा दिनांक 07.08.2019 के पत्र के माध्यम से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी), व्यय विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के परामर्श से वेतन समूहन संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। अतः, इस विभाग ने दिनांक 02.03.2026 के पत्र के माध्यम से वेतन समूहन संबंधी निर्देश को पुनः दोहराया है।
